श्री गुसाईं कृ० पत्रावली में प्रस्तुत करें। 27/11/2020

संख्या- 1185 /XXIV-B-1/2020-04(57)/2005

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा-2 2723 27-11-2020

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 26 नवम्बर, 2020

विषयः- प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पदों पर व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय, के संबंध मे अपने पत्रांक:सेवाएं-2/17059/रा०गां०न०वि०(प्रतिनि०)/03/2020-21, दिनांक 06.11.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन के पत्र संख्या-1046/XXIV-B-1/2020-04(57)/2005, दिनांक 05.11.2020 के क्रम में प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पदों पर राज्य के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में तैनात गेस्ट टीचरों की भांति नियुक्ति/तैनाती हेतु कतिपय समस्याओं के समाधान हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया गया है-

1. राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में टी०जी०टी०/पी०जी०टी० के रिक्त पदों पर गेस्ट टीचरों के रूप में ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाय, जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण, प्रशिक्षण एवं संचार(Communication) में सक्षम हो।
2. राज्य के विभिन्न जनपदों में अवस्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में टी०जी०टी०/पी०जी०टी० के रिक्त पदों पर आवेदन करने वाला अभ्यर्थी संबंधित जनपद का स्थायी निवासी होना चाहिए।
3. राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में गेस्ट टीचरों की तैनाती हेतु राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गेस्ट टीचर के रूप में कार्य का अनुभव रखने वाले गेस्ट टीचरों को वरीयता प्रदान की जाय।
4. राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति शासन द्वारा निर्धारित मानदेय पर विद्यालय प्रबंधन समिति(वी०एम०सी०) द्वारा किया जायेगा।
5. इन विद्यालयों के आवासीय स्वरूप एवं 24 घंटे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत गेस्ट टीचर पी०जी०टी० हेतु प्रतिमाह रू0 24000/-(चौबीस हजार) एवं गेस्ट टीचर टी०जी०टी० हेतु प्रतिमाह रू0 22000/-(बाईस हजार) मात्र मानदेय निर्धारित किया जाता है। इन विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति(वी०एम०सी०) के माध्यम से पूर्व से संविदा/मानदेय पर रखे गए शिक्षकों का भी उक्तवत् मानदेय तत्काल प्रभाव से प्रदान किया जायेगा।

क्रमशः-2

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में उपरोक्तानुसार अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या- /XXIV-B-1/2020-04(57)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।